

न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - पीयूष समारिया (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 048/2015(रा.अ.) (GCMS 2015/00034)	दायर दिनांक 14.12.2015	निर्णय दिनांक 25.07.2023
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. दुर्गाशंकर गोदी पुत्र स्व. मिट्टलाल ब्राह्मण निवासी मंगलवाड
2. श्रीलाल पिता देवा ब्राह्मण निवासी मंगलवाड मृतक के बजाय
2/1 श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी फतहलाल जोशी (ब्राह्मण)
निवासी मंगलवाड तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी**बनाम**

1. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. परियोजना निदेशक राजश्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू. उदयपुर (राज.)
3. सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :- ओपी टेलर (अनुपस्थित)
मुकुट बिहारी दाधीच

अधिवक्ता अपीलार्थी
अधिवक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 3G(5) सपठित धारा 3H(5) एवं National Highway (Manner of Depositing The Amount by The Central Government with The Competent Authority for Acquisition of Land) Rules, 1998 विरुद्ध आदेश/एवाई दिनांक 13.12.2023 प्रकरण संख्या 0122012 एन.एच. 76 मंगलवाड बाईपास

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मंगलवाड तहसील इंगला में प्रार्थीगण के खातेदारी की आवेदन वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हैं। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा भारत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3A दिनांक 21.09.2011 एवं अधिसूचना/उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 3D दिनांक 12.07.2012 तथा अधिसूचना दिनांक 30.10.2012 के अनुसरण में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजीयात में से निम्न प्रकार खसरा नम्बर और क्षेत्रफल की भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कि.मी. 170+200 से 172+800 तक (चित्तौड़गढ़-मंगलवाड सेक्शन) के मंगलवाड बाईपास निर्माण (चौड़ा करने/छ: लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण,



प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अवाप्ति हेतु अधिसूचित/उद्घोषित की गयी और उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 3D राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि को दिनांक 12.07.2012 की उद्घोषणा के द्वारा भारत राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 12.07.2012 से ही आत्यंतिक रूप से सभी विल्लंघनों से मुक्त घोषित कर केन्द्रीय सरकार में निहित होना घोषित कर दी गयी। तथा इस अधिसूचना/उद्घोषणा के अनुशरण में सक्षम प्राधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 13.12.2013 को एवार्ड जारी कर कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.5616 हैक्टेयर का एवार्ड जारी कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के उक्त एवार्ड/आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर यह अपील/आवेदन ठोस आधारों (GROUNDS) पर प्रस्तुत हैं। विद्वान सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश/एवार्ड दिनांक 13.12.2013 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा क्लेम पेश किया गया उस पर अधिनिर्णय ही नहीं दिया है और केवल एकपक्षीय आधार पर एवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण अवाप्ताधीन आराजीयात एन.एच. 76 मुख्य रोड़ पर लगी हुई हैं और इन्हीं आराजीयात में से पूर्व में भी वर्ष 2002 में 3D की उद्घोषणा दिनांक 01.11.2002 को जारी हुई थी और उसी की पालना में एवार्ड राशि का भुगतान किया था और उसी से लगी हुई भूमि पर पुनः इसी रोड़ को छःलेन बनाने हेतु अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 को जारी की गयी है। जिसके फलस्वरूप यह अवाप्ताधीन एवार्ड जारी किया गया है। अर्थात् अवाप्ताधीन भूमि नेशनल हाईवे से लगी हुई हैं, और इस उद्घोषणा की दिनांक 12.07.2012 से ही यह भूमि भारत सरकार में निहित होना घोषित कर दी गयी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 से राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 58 में संशोधन कर नया उपनियम (1A) जोड़कर खण्ड II में यह प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे/मेघा हाईवे से लगते हुए खसरो की भूमि जो हाईवे से 100 मीटर तक की परिधि में स्थित हैं, उनकी दरें, उसी भूमि की सामान्य दरों से तीन गुणा मानी जावें। परन्तु विद्वान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि की गणना करते। समय राज्य सरकार की इस निर्णय/राज्यादेशों को अनदेखा किया गया है, और तीन गुणा दर से मुआवजा दिलाया जाना चाहिये था, जो नहीं दिया गया है। उक्त राज्यादेशों/अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 की पालना में प्रार्थीगण प्रचलित सामान्य दरों से तीन गुणा दरों पर मुआवजा पाने के हकदार हैं। खसरा नंबर 9 एवं 10 मौके पर सिंचित भूमि होकर अवाप्ताधीन भूमि में सिंचाई होकर रबी एवं खरीफ दोनों फसलें भी जाती रही हैं। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी के यहाँ प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरियों पर भी गौर नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्ताधीन भूमि खसरा नंबर 9 एवं 10 गिरदावरी में सिंचित हैं और दोनों फसलें हो रही हैं तो उसे सिंचित मानी जाकर सिंचित की दर से मुआवजा तय करना चाहिए था, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा छा.क. (असिंचित) मानकर सामान्य दर से ही एवार्ड कर दिया है। तहसीलदार इंगला से प्राप्त DLC दरों में सिंचित भूमि की दर 207330/-रुपये प्रति बीघा बतायी गयी है, और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 के आधार उसे तीन गुणा करने पर 621990/- रुपये प्रति बीघा की दर से प्रार्थीगण मुआवजा पाने के हकदार हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/प.2(27)/वित्त/कर/2009-78 दिनांक 15.02.2010 पूर्ण



रूप से स्पष्ट हैं और इसी आशय का स्पष्टीकरण भी राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग, जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक/प.2(99)/वित्त/कर/2010 दिनांक 24.01.2011 में उक्त अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 का हवाला देते हुए तदनुसार ही नेशनल हाईवे/स्टेटहाईवे/मेघा हाईवे से लगते हुए खसरों की भूमि जो हाईवे से 100 मीटर की परिधि में स्थित हैं, उनकी दरें, उस भूमि की सामान्य दरों की तीन गुणा निर्धारित की जायेगी और 200 मीटर तक की परिधि में स्थित हैं, उनकी दरें उसी भूमि की सामान्य दरों की दो गुणा निर्धारित की जायगी और इसी प्रकार के दिशा निर्देश महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कर भवन, अजमेर के परिपत्र क्रमांक/F.7(109) जन/कार्यशाला/11/8727 दिनांक 31.03.2011 में बिन्दु संख्या 24.0 पर भी जारी किये गये हैं। इस प्रकार विद्वान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा DLC दरों के बारे में राज्य के वित्त विभाग पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आदेशों/दिशा निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देकर सामान्य दर से ही एवार्ड जारी कर दिया है। अवाप्ताधीन भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10 रकबा 0.1232 हैक्टेयर योग 0.2096 हैक्टेयर, सिंचित मानी जाकर 207330/-रूपये प्रति बीघा की सामान्य दरों से तीन गुणा दर 621990/- रूपये प्रति बीघा से मुआवजा राशि 603271/- रूपये तथा उस पर नियमानुसार धारा 3G(2) के तहत देय 10 प्रतिशत राशि जोड़ते हुवे कुल मुआवजा 663598/- रूपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त बढ़ी हुई राशि 520535/- रूपये पर नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3H(5) के तहत 3D की अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 से इस राशि के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकारी भी है। क्योंकि नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3D (2) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि धारा 3D की उद्घोषणा के प्रकाशन होते ही अवाप्ताधीन भूमि आत्यांतिक रूप से सभी विल्लंघनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायगी। अतः दिनांक 12.07.2012 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत ब्याज पाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त आधार पर अपील/आर्बिट्रेशन आवेदन स्वीकार किया जाकर अवाप्ताधीन भूमि को सिंचित मानी जाकर सिंचित दर 207330/- रूपये की तीन गुणा दर अर्थात् 621990/- रूपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि 663598/- रूपये दिलाने के आदेश दिये जावें। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(7) के प्रावधानों कमशः (इ) (ब) (क) पर भी विद्वान सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं देकर प्रार्थीगण को इन प्रावधानों के तहत देय एवार्ड राशि भी जारी नहीं की गयी है। धारा 3G(7)(b) में प्रावधान किये अनुसार प्रार्थीगण की अवाप्ताधीन भूमि उसकी खातेदारी की भूमियों से जुदा/पृथक हो जाने की स्थिति में कारित नुकसानी की भरपाई के फलस्वरूप कोई एवार्ड राशि जारी नहीं की गयी है जो न्यूनतम 1,00,000/- रूपये एक लाख रूपया तथा अधिकतम न्यायालय जो उचित समझे दिलायी जावे। धारा 3G(7)(c) के तहत प्रार्थीगण की आबादी भूमि/अचल सम्पति खसरा नंबर 4231/9, 4226/10, 4228/10 तथा उन पर स्थित मकान, बाउन्ड्री, वाटरटैंक, दुकानें आदि जो बनी हुई हैं, उनसे होने वाली आय बन्द हो जाने के फलस्वरूप उसकी (Earnings) आय प्रभावित होगी जिस पर कोई गौर नहीं किया है और धारा 3G(7)(c) की पालना में कोई प्रतिकार की राशि नहीं दिलायी गयी है। जबकि अवाप्ताधीन भूमि/आवासीय/व्यावसायिक उपयोग की होकर उस पर संचालित व्यवसाय बंद हो जायेगा। फलस्वरूप न्यूनतम 2,00,000/- रूपये दो लाख रु. प्रतिवर्ष की नुकसानी प्रति व्यक्ति अर्थात्



दो-दो लाख रुपया प्रति वर्ष की दर से कमशः दुर्गाशंकर एवं श्रीलाल दोनों को पृथक-पृथक पाने के अधिकारी हैं। यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि तक क्रमशः 20-20 लाख रुपये दोनों ही पाने के हकदार हैं। जिस पर कोई एवार्ड राशि स्वीकृत नहीं की हैं। धारा 3G(7)(d) के तहत प्रार्थीगण अपने रिहायसी मकान तथा व्यावसायिक दुकानों के उपयोग/उपभोग से वंचित हो जाने के कारण प्रार्थीगण को आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों से हटाये जाने के फलस्वरूप उनका आवास और व्यावसायिक स्थान भी परिवर्तन हो जायेगा जिसके फलस्वरूप (Due to Change of Residence and place of Business) आर्थिक नुकसानी की राशि अवाप्ति के कारण हुई नुकसानी की राशि प्रार्थीगण को प्रत्येक को न्यूनतम 1.50 लाख अक्षरे एक लाख पचास हजार के हिसाब से 3 लाख रुपये की यह नुकसानी की राशि भी दिलायी जावे। उक्तानुसार बढ़ी हुई एवार्ड राशि पर 3D की अधिसूचना की दिनांक 12.07.2012 से भुगतान की तारिख तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाया जावे। जैसा कि धारा H(5) में प्रावधान किया गया है।

इस पर प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.02.2016 को विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 26.06.2018 को विपक्षी और से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अपील मेमों उठाये गये तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा भारत के राज, पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 एवं उद्घोषणा दिनांक 12.07.2012 तथा अधिसूचना दिनांक 30.10.2012 में प्रार्थीगण की मंगलवाड़ बाईपास निर्माण (चौड़ा करने/ छः लेन बनाने आदि) को लोक प्रयोजन में अवाप्ति हेतु दिनांक 12.07.2012 को प्रार्थी की अवाप्ति शुदा भूमि की उद्घोषणा की गई जिनका मुआवजा प्रार्थीगण को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 की डी.एल.सी. दर के अनुसार अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार उसकी किस्त (प्रकृति) के अनुसार प्रार्थीगण को किया गया है जिसमें प्रार्थीगण से सहर्ष स्वीकार किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा पेश की गई लिखित आपत्तियों का निराकरण प्रार्थीगण को सुन कर रिकार्ड पर लेकर राजस्व अधिकारियों तथा तहसीलदार डूंगला, नायब तहसीलदार मंगलवाड़ भू-अभिलेख निरीक्षक मंगलवाड़, पटवार हल्का मंगलवाड़, से मौका रिपोर्ट मंगवा राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों राजस्व रेकार्ड में अंकन राजस्व अधिकारी की मौका रिपोर्ट मौका विवरण पत्र विधि सम्मत तरीके से अवलोकन कर अवाई पारित किया है। जो सही हैं। प्रार्थीगण ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजात को रेकार्ड पर ले राजस्व अधिकारियों से मौका रिपोर्ट तलब करा तथ्यों को अवलोकन कर विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण की पूर्व में भी आराजियात को अवाप्त किया गया है एवं उसका भुगतान कर दिया गया है जिस पर कोई विवाद नहीं है किन्तु छः लेन बनाने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 होने से 21.09.2011 को डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का अवाई पारित किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 को आधार बताते



हुए अवाप्ताधीन अवार्ड जारी किया जाना बताया है हाला की दिनांक 21.09.2011 एवं 12.07.2012 की डीएलसी दरों में कोई परिवर्तन नहीं है परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 21.09.2011 की डीएलसी दर के अनुसार विधि सम्मत अवार्ड पारित किया है। प्रार्थीगण का उनकी अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा उसकी किस्म (प्रकृति) अनुसार छपरी कदमाली का मुआवजा छपरी कदमाली के अनुसार दिया गया है जबकि प्रार्थी ने उक्त भूमि को सिंचित बता अत्यधिक मुआवजे की मांग की है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण की शेष अवाप्तधीन भूमि, आवासीय का 342/- रुपये प्रतिवर्ग फुट एवं व्यावसायिक भूमि का 1026/- रुपये प्रतिवर्ग फुट के अनुसार भुगतान किया गया है। प्रार्थीगण को कुलिया मुआवजा राशि 1,92,46,604/- रुपये का संशोधित अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा भूमि किस्म छपरी कदमाली के अनुसार किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा मांगा गया है जो कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अत्यधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि को सिंचित बताया है गिरदावरी पेश नहीं की है। राजस्व रेकार्ड में छपरी कदमाली होने से छपरी कदमाली भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को नियमानुसार अवार्ड जारी कर किया जा चुका है। प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि छपरी कदमाली (पथरीली चट्टानी भूमि) होने से प्रार्थीगण द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा चाहा गया है जो कतई स्वीकार नहीं है छपरी कदमाली भूमि असिंचित किस्म प्रकृति की भूमि होने से सिंचित भूमि के मुआवजे की मांग प्रार्थीगण द्वारा करना न्याय संगत नहीं है। सिंचित भूमि की डीएलसी दर 188485/- रुपये प्रति बीघा है, परन्तु प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा भूमि छपरी कदमाली है जो असिंचित किस्म की है जिसकी डीएलसी दर पर 134090/- रुपये प्रति बीघा है प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा भूमि छपरी कदमाली को राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से असिंचित की डीएलसी दर से भुगतान किया गया है जो सही है। अवार्ड जारी करते समय डीएलसी दरों अवाप्त शुदा भूमि के राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार मौका रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट व सभी दस्तावेजों का सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत सत्यापन करने के उपरान्त ही अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा भूमि असिंचित किस्म की होने से सिंचित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जो राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट से भूमि की किस्म असिंचित प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा 3 डी (2) के अनुसार ब्याज की भी मांग की गई है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के परिवारजनों के मध्य आपसी मनमुटाव के चलते विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों के लम्बित होने के कारण प्रार्थीगण को मुआवजा राशि के भुगतान में देरी हुई है जिसके लिए प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा असिंचित भूमि का सिंचित भूमि की दर से मुआवजा चाहने एवं विभिन्न न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से मांगे गये ब्याज बाबत भा.रा.रा.प्रा. कतई उत्तरदायी नहीं है। इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य होने से खारीज फरमाया जावे। नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के प्रावधानों का लाभ प्रार्थीगण द्वारा पात्रता नहीं रखने से मुआवजा राशि पाने के अधिकारी नहीं है। धारा 3 जी (7) (बी) के प्रावधान प्रार्थीगण की शेष आराजियात के जुदा/पृथक नहीं होने से प्रार्थीगण नुकसान भरपाई की पात्रता नहीं रखते है प्रार्थीगण की महज खसरा नम्बर 9 से 0.0864 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 10 से हैक्टर एवं खसरा नम्बर 10 से 0.1232 हैक्टेयर भूमि की अवाप्त की गई है। इस कारण प्रार्थीगण धारा बी का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।



प्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य से सडक निर्माण नहीं होने से प्रार्थीगण की शेष आराजीयात जुदा/पृथक नहीं होने से भी धारा बी का लाभ की पात्रता नहीं रखते हैं। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि के बाद भी शेष काफी आराजीयात बचती है जिस पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे से अपने आवास एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण का समुचित अवसर देने के उपरांत ही सडक का निर्माण किया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा 3 जी (7)(सी) के प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के रिहायशी मकान व दुकानों का स्थान परिवर्तन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा डी की पात्रता नहीं रखते हैं। क्योंकि प्रार्थी के निर्माण स्थल पर राजमार्ग बना है पूर्व में भी उनके प्रतिष्ठान के बाहर राजमार्ग ही था और अब भी राजमार्ग ही है शेष आवासीय मकान प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिये जाने से उनका नवीनीकरण होकर आधुनिक साज सज्जा से युक्त होकर सभी सुविधा युक्त हो गये है व स्थान भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फलस्वरूप प्रार्थीगण डी के प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी ही है। धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 में धारा एच (5) के प्रावधानों का लाभ पाने की कोई पात्रता प्रार्थी नहीं रखता है क्योंकि पारिवारिक वाद के चलते मुआवजा राशि देने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि पर ब्याज राशि प्राप्त करने के लिए पृथक से प्रकरण संख्या 49/2015 माननीय न्यायालय आप में ही पेश कर रखा है जिसका विस्तृत जवाब उक्त प्रकरण संख्या 49/2015 में दिया जा चुका है। इस कारण प्रार्थीगण किसी भी तरह का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी। प्रार्थीगण दादरसी नियमों उपनियमों के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दौहराने बहस प्रार्थीगण द्वारा नये तथ्य प्रकट किये जाने पर विपक्षी उनका प्रति उत्तर देने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं। अतः जवाब विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें।

इस पर अपीलार्थी द्वारा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब का जवाब-उल-जवाब दिनांक 29.12.2020 को पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब-उल-जवाब में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिसूचना दिनांक 29.09.2011 की DLC दर के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा जारी करना लिखा है जो सर्वथा गलत होकर तथ्यों से परे हैं, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 को जारी हुई जिसका भारत राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22.09.2011 को हुआ। इससे पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि की डी.एल.सी. दरों में अभिवृद्धि कर राज्य सरकार के वित्त (कर) विभाग की जारी अधिसूचना दिनांक 05.02.2010 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग और मेघा हाईवे पर स्थित कृषि भूमियों की कीमत डी.एल.सी. की तीन गुना कर दी गयी थी। अतः मुआवजा इसी अनुसार कृषि भूमि खसरा नंबर 9 व 10 रकबा कमशः 0.0864 एवं 0.1232 हैक्टेयर की मुआवजा राशि भी डी.एल.सी. की 3 गुना दर से संगणित की जानी थी, जो नहीं की गयी हैं। इस प्रकार मुआवजा राशि कम निर्धारित की गयी हैं, और खसरा नंबर 9 रकबा 0.0864 हैक्टेयर की अभी तक एवार्ड राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 9 रकबा 0.0864 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 10 रकबा 0.1232 हैक्टेयर कृषि भूमि की एवार्ड राशि स्वीकार नहीं हैं। जिसके विरुद्ध यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की अवाप्ताधीन भूमि के बाबत किसी भी राजस्व न्यायालय में टाईटल सम्बन्धी कोई विवाद विचाराधीन नहीं है



और न ही किसी राजस्व न्यायालय से कोई स्थगनादेश हैं। अतः नियमानुसार बड़ी हुई राशि पर एन.एच. एक्ट की धारा 3H(5) के तहत नियमानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं जो दिलाया जावे। अतः एन.एच. पर स्थित भूमि की डी.एल.सी. दरें सामान्य से 3 गुना मानकर उसी अनुसार मुआवजा राशि दिलायी जावे तथा अन्तर कर राशि पर नियमानुसार एन.एच. एक्ट की धारा 3H(5) के तहत 9 प्रतिशत ब्याज भी दिलाया जावे। जो कि उक्त एन.एच. अधिनियम के तहत प्रार्थीगण पाने के हकदार हैं। निर्णय/एवार्ड आदेश में नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(b)(c) एवं (d) के तहत किसी प्रकार का कोई विचार कर निर्णय नहीं दिया है। एवार्ड/आदेश में इस धाराओं के तहत देश राशि का जिक्र तक नहीं किया है। प्रार्थीगण की रुपांतरितसुदा भू-भाग खसरा नंबर 4231/9, 4226/10, 4228/10 पर स्थित मकान, बाउन्ड्री वाटरटैंक, दुकानें आदि बनी हुई थी जो समस्त अवाप्त कर ध्वस्त कर दी गयी हैं। जिससे प्रार्थीगण अपने निवास और व्यवसाय से वंचित हो गये, और नये सिरे से उन्हें आवास/व्यवसाय का जुगाड़ लगाने की आवश्यकता हो गयी है। अतः नियमानुसार धारा 3G (7)(c) के तहत प्रावधानों का लाभ पाने के हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र में आवेदित परिलाभ की राशि 20-20 लाख रुपये प्रत्येक प्रार्थी को दिलायी जावे। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत जवाब-उल-जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/भूमि अवाप्ति/एन.एच.-76/2017/1586 दिनांक 02.11.2017 से मूल अभिलेख पत्रावली प्रकरण संख्या 01/2012 निर्णय दिनांक 13.12.2013 अनवानी ए.एच.ए.आई. बनाम दुर्गाशंकर प्रेषित की गई है जो कि दीगर प्रकरण संख्या 049/2015 (रा.अ.) के साथ हम किता होकर इस पत्रावली में भी रिकार्ड है। प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से दिनांक 22.09.2021 को अपीलार्थी संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर नहीं रहे न्याय हित में सुनवाई का अवसर दिया गया। दिनांक 25.07.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर नहीं है। पत्रावली विगत लम्बे समय से वास्ते बहस नियत है। अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण किये जाने हेतु रखा गया। अधिवक्ता विपक्षी हाजिर। हाजिर अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21.09.2011 की डी.एल.सी. दर के अनुसार अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार उसकी किस्त (प्रकृति) के अनुसार प्रार्थीगण को किया गया है जिसमें प्रार्थीगण से सहर्ष स्वीकार किया है। प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा पेश की गई लिखित आपत्तियों का निराकरण प्रार्थीगण को सुन कर रिकार्ड पर लेकर राजस्व अधिकारियों तथा तहसीलदार इंगला, नायब तहसीलदार मंगलवाड़ भू-अभिलेख निरीक्षक मंगलवाड़, पटवार हल्का मंगलवाड़, से मौका रिपोर्ट मंगवा राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों राजस्व रेकार्ड में अंकन राजस्व अधिकारी की मौका रिपोर्ट मौका विवरण पत्र विधि सम्मत तरीके से अवलोकन कर अवार्ड पारित किया है, जो सही हैं। प्रार्थीगण ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर तथ्य अंकित किये हैं।



प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 को आधार बताते हुए अवाप्ताधीन अवार्ड जारी किया जाना बताया है हालांकि दिनांक 21.09.2011 एवं 12.07.2012 की डीएलसी दरों में कोई परिवर्तन नहीं है परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 21.09.2011 की डीएलसी दर के अनुसार विधि सम्मत अवार्ड पारित किया है। प्रार्थीगण का उनकी अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा उसकी किस्म (प्रकृति) अनुसार छापरी कदमाली का मुआवजा छापरी कदमाली के अनुसार दिया गया है। प्रार्थीगण की शेष अवाप्तधीन भूमि, आवासीय का 342/- रुपये प्रतिवर्ग फुट एवं व्यावसायिक भूमि का 1026/- रुपये प्रतिवर्ग फुट के अनुसार भुगतान किया गया है। प्रार्थीगण को कुलिया मुआवजा राशि 1,92,46,604/- रुपये का संशोधित अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा भूमि किस्म छापरी कदमाली के अनुसार किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा मांगा गया है जो न्यायोचित नहीं होकर अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि छापरी कदमाली (पथरीली चट्टानी भूमि) होने से प्रार्थीगण द्वारा सिंचित भूमि का मुआवजा चाहा गया है जो कतई स्वीकार नहीं है छापरी कदमाली भूमि असिंचित किस्म प्रकृति की भूमि होने से सिंचित भूमि के मुआवजे की मांग प्रार्थीगण द्वारा करना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा भूमि छापरी कदमाली को राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से असिंचित की डीएलसी दर से भुगतान किया गया है जो सही है। अवार्ड जारी करते समय डीएलसी दरों अवाप्त शुदा भूमि के राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार मौका रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट व सभी दस्तावेजों का सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत सत्यापन करने के उपरान्त ही अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा 3 डी (2) के अनुसार ब्याज की भी मांग की गई है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के परिवारजनों के मध्य आपसी मनमुटाव के चलते विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों के लम्बित होने के कारण प्रार्थीगण को मुआवजा राशि के भुगतान में देरी हुई है जिसके लिए प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। विभिन्न न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से मांगे गये ब्याज बाबत भा.रा.रा.प्रा. कतई उत्तरदायी नहीं है। नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के प्रावधानों का लाभ प्रार्थीगण द्वारा पात्रता नहीं रखने से मुआवजा राशि पाने के अधिकारी नहीं है। धारा 3 जी (7) (बी) के प्रावधान प्रार्थीगण की शेष आराजीयात के जुदा/पृथक नहीं होने से प्रार्थीगण नुकसान भरपाई की पात्रता नहीं रखते है प्रार्थीगण की महज खसरा नम्बर 9 से 0.0864 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 10 से हैक्टर एवं खसरा नम्बर 10 से 0.1232 हैक्टेयर भूमि की अवाप्त की गई हैं। इस कारण प्रार्थीगण धारा बी का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य से सडक निर्माण नहीं होने से प्रार्थीगण की शेष आराजीयात जुदा/पृथक नहीं होने से भी धारा बी का लाभ की पात्रता नहीं रखते है। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि के बाद भी शेष काफी आराजीयात बचती है जिस पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे से अपने आवास एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण का समुचित अवसर देने के उपरांत ही सडक का निर्माण किया है। प्रार्थी के रिहायशी मकान व दुकानों का स्थान परिवर्तन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा डी की पात्रता नहीं रखते हैं। क्योंकि प्रार्थी के निर्माण स्थल पर राजमार्ग बना है पूर्व में भी उनके प्रतिष्ठान के बाहर राजमार्ग ही था और अब भी राजमार्ग ही है शेष आवासीय मकान प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिये जाने से उनका नवीनीकरण होकर आधुनिक साज सज्जा से युक्त होकर सभी सुविधा युक्त हो गये है व



स्थान भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फलस्वरूप प्रार्थीगण डी के प्रावधानों का लाभ पाने का अधिकारी ही है। पारिवारिक वाद के चलते मुआवजा राशि देने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि पर ब्याज राशि प्राप्त करने के लिए पृथक से प्रकरण संख्या 49/2015 माननीय न्यायालय आप में ही पेश कर रखा है जिसका विस्तृत जवाब उक्त प्रकरण संख्या 49/2015 में दिया जा चुका है। इस कारण प्रार्थीगण किसी भी तरह का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी। प्रार्थीगण दादरसी नियमों उपनियमों के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं जवाब-उल-जवाब में उठाये गये तथ्यों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर गहन चिंतन-मनन किये जाने उपरांत पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी अधिसूचना क्रमांक का0 आ0 2171(अ) दिनांक 22.09.2011 से जिसका प्रकाशन भारत राजपत्र के असाधारण अंक भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 22.09.2011 को किया गया है अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के 170.200 कि०मी० से 172.800 कि०मी० तक के भूखण्ड (चित्तौड़गढ़-मंगलवाड सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए को भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3क के तहत अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1559(अ) दिनांक 12.07.2012 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित होकर चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 170.200 कि०मी० से 172.800 कि०मी० तक के भूखण्ड (चित्तौड़गढ़-मंगलवाड सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए को भूमि अवाप्ति अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क (3) के अधीन दो समाचार पत्रों क्रमशः “दैनिक भास्कर” में दिनांक 04.11.2011 एवं “प्रातःकाल” में दिनांक 05.11.2011 को प्रकाशित किया गया था, और आक्षेप आमंत्रित किये गये। जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद सुनवाई नियमानुसार निस्तारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ (1) के अनुसरण केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अधिनियम की धारा 3घ (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का0 आ0 1559



(अ) दिनांक 12.07.2012 के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाने हेतु उक्त अधिसूचना भारत का राजपत्र के असाधारण अंक भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 12.07.2012 को प्रकाशित गई है उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमियों के सभी खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपनी भूमि से संबंधित विवरण, उस पर स्थित परिसम्पतियों आदि के बारे में अपना क्लेम/दावा स्वयं अथवा अपने सभी अधिकृत एजेंट अथवा अपने द्वारा अधिकृत कानूनी सलाहकार/अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरणों में तहसीलदार, इंगला से भी मौका सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किये गये। हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/एलए/एन.एच./प्र.सं./01/2012 दिनांक 06.12.2012 द्वारा अपीलार्थी को 21 दिवस का नोटिस जारी किया गया जो कि अपीलार्थी को दिनांक 18.12.2012 तक प्राप्त हो गया। अपीलार्थी द्वारा 31.12.2012 क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया है तथा प्रार्थी को अवाप्ति में आने वाली भूमि के संबंध में अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं तथा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवाप्तिधीन भूमि के मुआवजा निर्धारण के संबंध में अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। जहां तक कोई निरीक्षण, सर्वे, मेजरमेन्ट, वेल्यूएशन व इन्क्वायरी नहीं करने का प्रश्न है राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया। हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 9 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म छा.क. एवं आराजी संख्या 10 रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म 0.19 आबादी 0.34 छा.क. दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही जहाँ तक विहित प्राधिकारी (कृ०भू०रू०) एवं उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/13/2009 दिनांक 27.07.2009 आवासीय प्रयोजनार्थ पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील में आराजीयात के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। जहाँ आराजीयात आराजी संख्या 9 के संबंध में अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 के कॉलम संख्या 6 भूमि का प्रकार निजी एवं कॉलम संख्या 7 भूमि की प्रकृति छापरी/कदीम व आबादी एवं कॉलम संख्या 8 भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) 0.0864 व 0.1620 एवं आराजी संख्या 10 के संबंध में अधिसूचना दिनांक 12.07.2012 के कॉलम संख्या 6 भूमि का प्रकार निजी एवं कॉलम संख्या 7 भूमि की प्रकृति छापरी/कदीम, आबादी व वाणिज्यिक एवं कॉलम संख्या 8 भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) 0.1232, 0.1400 व 0.0500 अंकित किया गया ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी अवार्ड का निर्धारण राजस्व रेकार्ड अनुसार किया जाना पाया जाता है। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण/संरचनाओं का मुआवजा कम देने/नहीं देने का प्रश्न है, राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया



गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा डीएलसी दरों के संबंध में तथ्य उठाया गया है इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि तहसीलदार इंगला द्वारा अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी को पत्रांक/पंजीयन/2013/2 दिनांक 01.01.2013 से मुआवजा राशि की गणना हेतु दिनांक 21.09.2011 की प्रचलित दर डीएलसी एवं डीएलसी कमेटी द्वारा अनुमोदन शुदा संबंधित ग्रामों की अनुमोदित सूचनी प्रेषित की गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हम किता होकर उपलब्ध है। उक्त दरों के अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रपत्र 1 के कॉलम संख्या 8, 10 में सडक/आबादी के पास की भूमि की राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.03.2011 से 15 प्रतिशत बढ़ाई गई नई दरें अनुसार क्रमशः आवासीय एवं वाणिज्यिक दरे संबंधित क्षेत्र की अंकित की गई है। इसके साथ ही प्रपत्र 1 पर अंकित फुटनोट (स्पष्टीकरण) के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया है कि “राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा से 200 मीटर तक की भूमि सडक के नजदीक मानी जायेगी।” अंकित है। इसी प्रकार प्रपत्र 2 के कॉलम संख्या 8 एवं 9 में दिनांक 09.03.2011 से 15 प्रतिशत बढ़ाई गई दरे अनुसार क्रमशः सडक/आबादी के पास एवं सडक/आबादी से दूर की कृषि भूमि की दरे प्रति बीघा प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि उप-पंजीयक इंगला तत्समय प्रचलित दरें सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गई तथा प्रार्थी को उसकी भूमि की किस्म अनुसार निर्धारित दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना जारी अवार्ड आदेश से प्रतिवेदित होता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में जो अवार्ड जारी किया है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार ही जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवार्ड नियमानुसार जारी किया जाना प्रमाणित होना पाया जाता है एवं प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किया जाना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण गुणावगुण पर बलहीन होना प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर जहाँ प्रार्थी/अपीलाथी प्रकरण को गुणावगुण पर पूर्ण रूप साबित कराये जाने में असफल रहे है एवं प्रकरण गुणावगुण पर पूर्ण रूप साबित नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत/अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में पारित अवार्ड विधि-सम्मत होकर पारित अवार्ड आदेश में किसी प्रकार के वृद्धि-संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन गुणावगुण पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति प्रेषित किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
माध्यस्थम् अधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़